न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेव सिंह हाडा

ख्या 31/13

तारीख रजू– 21/10/13

नस्वरूप पुत्र श्री मोतीलाल दत्तक पुत्र रणजीता जाति मीना निवासी सपेरा बस्ती,राजकीय य,गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

––– प्रार्थी

बनाम

ल पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी वार्ड संख्या 20, संजय कोलोनी,गंगापुरसिटी।
शि पुत्र कल्याण प्रसाद जाति मीना निवासी पुलिस चौकी के पास गंगापुरसिटी।
ंह पुत्र सुकीराम जाति मीना निवासी लहाबद तहसील नादौती जिला करौली।
र जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी।

––– अप्रार्थीगण

––––––

निर्णय

दिनांक–03/09/2015.

र्थी द्वारा यह रेफरेन्स राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को वाके ग्राम उदईकलां की भूमि आराजी ख0न0 49 रकवा 0.50 है0 बारानी ए, खसरा नम्बर 5669 रकवा 0.53 है. बारानी ए, खसरा नम्बर वा 0.60 हेक्टर बारानी ए, व खसरा नम्बर 5672 रकवा 0.02 हेक्टर गै0मु0चाह कुल किता 1.65 हेक्टर का विक्रय करने पर विक्रय पत्र के आधारा पर ग्राम पंचायत उदईकलां द्वारा ख्या 2 व 3 के पक्ष मे क्रय की गई भूमि का स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 1147 1/05/12 के विरूद्व पेश कर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु किया है।

फरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की र्थी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से रकार उपस्थित आये तथा रेफरेन्साधीन मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर दोनो पक्षो की नी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने रेफरेन्स मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि धीन निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यो से परे होने के कारण य है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत त्र प्रारम्भिक तौर पर ही खारिज होने योग्य था क्योकि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करण तहसीलदार द्वारा खोला जाना चाहिये था लेकिन सरपंच ने साज कर उक्त करण कोरम के अभाव मे खोला गया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे तर्क दिया कि न्यायालय उपजिला कलेक्टर,गंगापुरसिटी के यहां टी0आई0प्रार्थनापत्र संख्या 7 मे 18/06/07 को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे आदेश पारित किये गये थे तथा उक्त स्थगन आदेश 03/05/12 तक यथावत था एवं 23/04/12 को अस्तित्व मे था फिर भी दिनांक 21/05/12 को उक्त रेफरेन्साधीन रकरण तस्दीक कर दिया जो विधि प्रतिकूल है व नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे की कोई जॉच नही की गई है जिसके कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्तनीय है। विद्वान प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी का उक्त आराजी मे हक निहित है तथा 5/12 के आदेश से व्यथित है जिसमे प्रार्थी को सुनवाई साक्ष्य का कोई अवसर नही मिला है कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्तनीय है। अतः रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर

क जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रेफरेन्स संख्या 31/13 पप्पू उर्फ रामस्वरूप बनाम राजूलाल वगै0

ख्या 2 व 3 के पक्ष मे दिनांक 21/05/12 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण को ने की राय के साथ प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावें।
द्वान वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस मे कि प्रार्थी को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण के विरूद्व रेफरेन्स प्रस्तुत करने का नही है क्योकि प्रार्थी ने उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व उपजिला कलेक्टर,गंगापुरसिटी के प्रस्तुत कर रखी है। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि रेफरेन्स क्ति द्वारा नही किया जा सकता क्योकि रेफरेन्स तहसीलदार द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति का जा सकता है। प्रार्थी द्वारा जो रेफरेन्स पेश किया है वह सार्वजनिक सम्पत्ति नही है वरन ख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि है जिसको अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय करने पर आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है व यदि प्रार्थी स्वीकृत किये गये रण से व्यथित है तो ग्राम पंचायत के नामान्तरकरण आदेश की अपील का प्रावधान है जो न्यायालय उप जिला कलेक्टर,गंगापुरसिटी मे पेश की हुई है इस कारण रेफरेन्स निरस्त य है। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि न्यायालय उपजिला गंगापुरसिटी मे विचाराधीन टी0आई0 प्रार्थनापत्र मे यथावत स्थिति का आदेश 03/05/12 प्रभावी था तथा रेफरेन्साधीन नामान्तरकरण 21/05/12 को तस्दीक किया गया है जिसमे प्रावधानो की पालना की गई है व तस्दीक किये गये नामान्तरकरण मे किसी प्रकार की ता नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनने करने तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का न करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी ने रेफरेन्साधीन नामान्तरकरण की अपील उपजिला कलेक्टर,गंगापुरसिटी के यहां पेश कर रखी है जो वहां विचाराधीन है। जब आदेश की अपील करने का प्रावधान हो तो अपील मे विशेष अधिकार निहित होते है व उसी का रेफरेन्स प्रस्तुत कर रिलीफ चाहना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। अतः रेफरेन्साधीन की अपील न्यायालय उपजिला कलेक्टर,गंगापुरसिटी मे विचाराधीन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर